

## न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 13/2022 खाद्य सुरक्षा अधिनियम

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये देवेन्द्र सिंह राणावत  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  
अधिकारी, भीलवाड़ा

बनाम 1. सतीश पुत्र रामप्रसाद विजयवर्गीय, मैसर्स आशा  
कन्फेक्शनरी, हाईवे के पास, पांसल, भीलवाड़ा  
2. आशा विजयवर्गीय पत्नी गोपाल विजयवर्गीय,  
मैसर्स आशा कन्फेक्शनरी, हाईवे के पास,  
पांसल, भीलवाड़ा

— प्रार्थी

—विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं  
दण्डनीय धारा 52

उपस्थित—

- 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
- 2 विपक्षी स्वयं उपस्थित ।



### आदेश

दिनांक 15.05.2023

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प-1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी सतीश विजयवर्गीय पुत्र रामप्रसाद विजयवर्गीय की फर्म आशा कन्फेक्शनरी, हाईवे के पास, पांसल, जिला भीलवाड़ा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को बॉइलड शुगर कन्फेक्शनरी (पुजा) इत्यादि विक्रय कर रहा था। सतीश विजयवर्गीय पुत्र रामप्रसाद विजयवर्गीय मैसर्स आशा कन्फेक्शनरी, हाईवे के पास, पांसल जिला भीलवाड़ा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विक्रेता बॉइलड शुगर कन्फेक्शनरी (पुजा) के 600-600 ग्राम के कुल 150 सीलड पोलिपेक आम जनता को उपभोग हेतु रखा हुआ था। मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5-ए में दी व रसीद प्राप्त की। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

*(Signature)*

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)

अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 18.05.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 09.06.2022 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी स्वयं उपस्थित।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट में पाया गया कि बॉईलड शुगर कन्फेशनरी (पुजा) नमूना एक्स-1152 में List of Ingredients – No added colour and flavour found hence misleading. Contravention of Regulations No. 2.2.1.3 of Food Safety and standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011 का उल्लंघन कर मिसब्राण्डेड बॉईलड शुगर कन्फेशनरी (पुजा) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरुद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।


बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस./46/एक्ट/2022/57 दिनांक 14.01.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना सं0 एक्स-1152 बॉईलड शुगर कन्फेशनरी (पुजा) मिसब्राण्डेड होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि बॉईलड शुगर कन्फेशनरी (पुजा) नमूना एक्स-1152 में List of Ingredients – No added colour and flavour found hence misleading. Contravention of Regulations No. 2.2.1.3 of Food Safety and standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011. इस प्रकार विपक्षी द्वारा Food Safety and standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011 का उल्लंघन कर मिसब्राण्डेड बॉईलड शुगर कन्फेशनरी (पुजा) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।



*Lueth*  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
भीलवाडा (राज.)

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मिसब्राण्डेड बॉईल्ड शुगर कन्फेशनरी (पुजा) का विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनियम 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन है।


उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत विपक्षी पर 35,000/-रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान जमा करा, चालान प्रति पेश करें। निर्णय आज दिनांक 15.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
आति० जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
भीलवाडा (राज.)

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।
- 2 सतीश विजयवर्गीय पुत्र रामप्रसाद विजयवर्गीय, मैसर्स आशा कन्फेक्शनरी, हाईवे के पास, पांसल जिला भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।



  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
आति० जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
भीलवाडा (राज.)